-प्रेस नोट-

दिनांक: 08-05-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर द्वारा 26वीं उ0प्र0 बालिका वाहिनी एनसीसी, सहारनपुर के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर- 255 में कैडेट्स को CYBER CRIME/CYBER SECURITY के विषय में जानकारी देकर जागरूक किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनरपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु लगातार जागरुकता कार्यक्रम चलाये जा रहे है। जिसके क्रम में थाना साइबर क्राइम, पुलिस टीम सहारनपुर द्वारा 26वीं उ0प्र0 बालिका वाहिनी एनसीसी, रेलवे कालोनी, सहारनपुर के द्वारा विद्या देवी कन्या महाविद्यालय, जंधेडा, सहारनपुर में 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर-255 में 450 एनसीसी कैडेट्स को साइबर अपराध के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी गयी-

1. साइबर अपराध कंप्यूटर, नेटवर्क और इंटरनेट का प्रयोग करके साइबर अपराधियों द्वारा आनलाइन की जाने वाली एक आपराधिक गतिविधि है।
2. 21वीं सदी में प्रत्येक मनुष्य अपनी दैनिक गतिविधियों और प्रत्येक स्थूल और सूक्ष्म गतिविधियो के लिए मोबाइल फोन व इंटरनेट पर निर्भर है, जिसके कारण साइबर अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है।
3. साइबर अपराध में मुख्यत हैकिंग, फ़िशिंग, रैंसमवेयर हमले, डिजिटल पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर बुलिंग जैसी विभिन्न दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां शामिल हैं। जिसके माध्यम से साइबर अपराधी व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारी चुरा कर पीड़ितों को वित्तीय और भावनात्मक नुकसान पहुंचाते हैं।
4. साइबर अपराधी संवेदनशील डेटा, फ़ोटो और संचार रिकॉर्ड चुरा कर साइबरबुलिंग करते हैं जिससे पीड़ित को प्रतिष्ठा क्षति, मनोवैज्ञानिक संकट और भावनात्मक आघात झेलना पड़ता है।
5. साइबर आपराधिक मानसिकता वाले अपराधियों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी चुराकर ऑनलाइन नीलामी, अग्रिम शुल्क या कोई निवेश घोटाला जैसे विभिन्न धोखाधड़ी वाली योजनाएं पेश की जाती हैं, जिनका उद्देश्य व्यक्तियों को धोखा देकर उन्हें वित्तीय व मानसिक क्षति पहुँचाना है।
6. साइबर अपराधी मुख्यत किसी भी व्यक्ति के संवेदनशील डेटा, फ़ोटो और संचार रिकॉर्ड सहित उनके व्यक्तिगत विवरण चुराकर उनकी गोपनीयता पर हमला करता है, जिसका उपयोग ब्लैकमेलिंग या किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के लिए करता है।
7. विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे ट्वीटर, फेसबुक, इंटाग्राम, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से साइबर अपराध होने पर केंद्र सरकार द्वारा संचालित 1930 हेल्पलाइन का प्रयोग करे।

साइबर टीम का विवरण-

1. उ0 नि0 डॉ0 दुष्यन्त शर्मा थाना साइबर क्राइम सहारनपुर।
2. क0 ऑपरेटर गौरव तोमर थाना साइबर क्राइम सहारनपुर।
3. का0 710 राकेश थाना साइबर क्राइम सहारनपुर।
4. म0का0 1869 रुपा थाना साइबर क्राइम सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट मे वांछित 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 08.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा थाना रामपुर मनिहारान पर पंजीकृत मु0अ0स0 89/24 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में वाछित अभियुक्त **योगेश पुत्र लीलाराम नि0 ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना ननौता जिला सहारनपुर** को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

योगेश पुत्र लीलाराम नि0 ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना ननौता जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 236/23 धारा 379/411 भादवि थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर
2. मु0अ0स0 89/24 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 राजेन्द्र सिह थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 जसबीर सिह थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
4. का0 1799 रोहित राणा थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 08.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस व ANTF थाना सहारनपुर की संयुक्त टीम द्वारा 01 शातिर स्मैक तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 300 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रूपये) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध मादक पदार्थों एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा एवं प्रभारी ANTF के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस व ANTF थाना सहारनपुर की संयुक्त टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **इरफान उर्फ ज्योति पुत्र लियाकत निवासी बाढी माजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** उम्र करीब 30 वर्ष को थाना सरसावा क्षेत्रान्तर्गत मन्नत ढाबा हाइवे के पास से दिनांक 08.05.2024 को समय करीब 00.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **300 ग्राम स्मैक** एक बिना नम्बर की TVS Rider Bike जिसका इन्जन नम्बर AF9KP1906477 व चेसिस नम्बर MD625AF91P1K06544 बरामद हुई है। जिसके सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0स0 116/24 धारा 8/21/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त शातिर किस्म का अन्तर्राजीय नशा तस्कर है विस्तृत आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि की मै बरेली से कम कीमत पर स्मैक लाता हूँ और यमुनानगर (हरियाणा) , गंगोह व नकुड, सरसावा के आसपास के क्षेत्रो मे बेचकर मुनाफा कमाता हूँ आज भी मै स्मैक बेचने के लिये ग्राहक का इन्तजार कर रहा था कि तभी पुलिस ने मुझे माल के साथ पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इरफान उर्फ ज्योति पुत्र लियाकत निवासी बाढी माजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरमदगी का विवरणः-

300 ग्राम अवैध स्मैक

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 351/18 धारा 381/411 भादवि व 302/201/394/411 भादवि थाना गंगोह
2. मु0अ0स0 536/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह
3. मु0अ0स0 706/18 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना गंगोह

4. मु0अ0स0 170/20 धारा 188/269/270 भादवि व 56 आपदा प्रबंधन अधि0 थाना गंगोह
5. मु0अ0स0 544/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह
6. मु0अ0स0 93/21 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह
7. मु0अ0स0 206/21 धारा 188/269/270 भादवि व 3 महामारी अधिनियाम थाना गंगोह
8. मु0अ0स0 231/21 धारा 147/148/149/352/452/504/506 भादवि व 3(1) द,ध व 3)2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना गंगोह
9. मु0अ0स0 284/21 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह
10. मु0अ0स0 415/22 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट थाना गंगोह
11. मु0अ0स0 114/23 धारा 323/342/504/506 भादवि थाना गंगोह
12. मु0अ0स0 116/24 धारा 8/21/60 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. श्री सत्येन्द्र कुमार राय थानाध्यक्ष थाना सरसावा
2. उ0नि0 राहुल शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 रवि कुमार ANTF थाना सहारनपुर
5. है0का0 प्रमोद कुमार ANTF थाना सहारनपुर
6. म0आ0 रुचि चौहान ANTF थाना सहारनपुर,
7. का0 नगेन्द्र यादव ANTF थाना सहारनपुर,
8. का0 विकास कुमार ANTF थाना सहारनपुर,
9. का0 गौरव यादव ANTF थाना सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 08.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज छुरी बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त **कासिफ पुत्र जाहिद निवासी नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर** उम्र 24 वर्ष को पोस्टमार्टम हाउस के पास से सडक पुख्ता से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 नाजायज छुरी बरामद की हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त कासिफ उपरोक्त के विरुद्ध थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 82/24 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने परअभियुक्त द्वारा बताया कि लोगो को डराने-धमकाने के लिए यह छुरी मै अपने पास ही रखता हूँ।।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कासिफ पुत्र जाहिद नि0 नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 छुरी नाजायज

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 108/2020 धारा 188/269/270 भादवि व 3 महामारी अधि0 थाना को0नगर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 276/2022 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना को0 देहात सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. उ0नि0 श्री सुबोध कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0का0 141 विनित कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. का0 2552 विकास कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 08.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.02.2024 को थाना सरसावा पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 31/2024 धारा 363 भादवि बनाम रहीश आदि द्वारा पंजीकृत हुआ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अपहृता की सकुशल बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **गुलबहार पुत्र सलीम निवासी ग्राम सौराना थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अपहृता को थाना सरसावा पुलिस द्वारा दिनांक 16.03.2024 को सकुशल बरामद किया जा चुका है। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 366/376 भादवि व 3/4, 16/17 पोक्सो अधिनियम कि वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गुलबहार पुत्र सलीम निवासी ग्राम सौराना थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 ललित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

2. है0का0 1124 अंकुर चौहान थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 08.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमन्चा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु वांछित/वारण्टी एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे चिलकाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनाकं 08.05.2024 को चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान 01 अभियुक्त **जानी पुत्र वहीद निवासी ग्राम बुड्डाखेडा थाना चिलकाना सहारनपुर** को ईदगाह बुड्डाखेडा से औरंगजेबपुर की तरफ जाने वाले रास्ते से 01 देशी तमन्चा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके विरूद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0-107/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

जानी पुत्र वहीद निवासी ग्राम बुड्डाखेडा थाना चिलकाना सहारनपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0— 33/19 धारा—3/5/क/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
मु0अ0सं0—372/20 धारा—2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
मु0अ0सं0—435/23 धारा—380 भादवि व 3/5क/8 सीएस एक्ट थाना कोतवाल देहात स0पुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 देशी तमन्चा 12 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।